



कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१
1st FLOOR, C.R BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001
दूरभाष नं/TEL NO : 0612-2504447, ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

आदेश संख्या 01 of 2025

दिनांक: 01.01.2025

रिक्ति वर्ष 2025 के लिए दिनांक 31.12.2024 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसरण करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को कर सहायक के पद पर वेतन स्तर-4 के वेतनमान रु. 25,500 - रु. 81,100/- (7^{वें} वेतन आयोग के अनुसार) एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते के साथ तत्काल प्रभाव से या कार्य ग्रहण की तिथि से, जो भी बाद में हो, स्वस्थाने आधार पर पदोन्नत किया जाता है। ये कर्मचारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान कार्यालय में जहां वे तैनात हैं उन्हीं कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नति से पहले कर रहे थे:

Pursuant to the panel recommended by the DPC held on 31.12.2024 for Vacancy Year 2025, the following officials are hereby promoted as **Tax Assistant (TA) in the Pay Scale of Level 4, Pay Matrix Rs. 25,500/- - Rs. 81,100/- (as per 7th CPC)** plus such allowances as may be admissible **with immediate effect or from the date of joining, whichever is later on In Situ** basis. These officials will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotions in the present office where they are posted until further order:

Sl. No.	Name (Shri/Smt./Ms.)	Cat.	D.O.B	Employee No.
1	Nand Kumar Pathak	UR	05.12.1974	171759
2	Manish Kumar Suman	OBC	15.02.1994	171234

शर्तें/Conditions :

- उपरोक्त नामित कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नति/पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन/संशोधन के अधीन होगी।

The above promotion/inter-se-seniority of the above named officials shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.

Page 1 of 4

(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशां
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

2. उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।

The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

3. उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.07.11 को दिये गए अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 एवं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2017 को दिये गए निर्णय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश/निर्देश एवं अन्य न्यायालयीय मामले, जो कि DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt (Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018 द्वारा सूचित किए गए हैं, के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी।

The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

4. उपरोक्त पदोन्नति आदेश SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 के कारण उत्पन्न K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 एवं एन आर परमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पोषक संवर्ग में वरीयता के पुनःनिर्धारण हेतु मानव संसाधन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं DoPT के द्वारा निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

5. पदोन्नति पाये गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (केन्द्रीय सेवा नियम) पुनर्निश्चित वेतन (के अनुसार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

The pay of the officials on promotion may be fixed in accordance with the recommendations as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशा.
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आहुत,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

6. यदि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/20015 -Estt (D) दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्नतिदो अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नति पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति के समय देय होगा।

No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

7. ध्यातव्य है कि उपयुक्त पदोन्नति आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो कर सहायक के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा।

It may be noted that in the event of refusing the above promotion, the official getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Tax Assistant for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्नति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और कर्मचारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नति के पूर्व कर रहे थे।

This promotion is being effected on In Situ basis and the officials will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

9. उपर्युक्त कर्मियों की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियों के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यालय में अग्रसारित की जाएगी।
The compliance report regarding joining of the above officials shall be forwarded by the concerned Head of the office within seven days of joining of such official.

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

Note:- In case of any controversy, English version will be applicable.

(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशां
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

यह प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखंड), पटना के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Income Tax (Bihar & Jharkhand), Patna.

६०
(पल्लवी)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्या०) (प्रशा०),
पटना

ज्ञापक संख्या: PCCIT/Pat/ Estt./25015/05/2017-18(TA)/ 9467

दिनांक: 01.01.2025

Copy to:

- 1.The DGIT (Inv.), Patna
- 2.The CCIT(ReFAC), Ranchi.
- 3.All the PCsIT/PDsIT/CsIT/DsIT under Bihar & Jharkhand.
4. All the ZAOs under Bihar & Jharkhand.
- 5.The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna.
- 6.Official(s) concerned
- 7.Hindi Section for Hindi version.
- 8.Guard File.

(सौरभ उपाध्याय)
संयुक्त आयकर आयुक्त (स्व-स्थाने) (मुख्या०) (प्रशा०),
पटना
(सौरभ उपाध्याय)

आयकर उपायुक्त (मुख्या०) प्रशा०
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना